ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

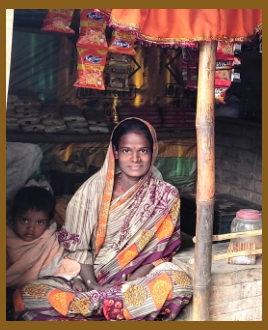

ललिता के जीवन में
आई खुशहाली
(पृष्ठ – 02)

रंजना दीदी के जीवन में
बदलाव की नई सुबह
(पृष्ठ – 03)

समूह और सूक्ष्म नियोजन
के माध्यम से जीविकोपार्जन
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – दिसम्बर 2021 ।। अंक – 05

जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाकर किया जाता है क्षमता निर्माण

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मुख्यत: ऐसे परिवारों को जोड़ा जा रहा है जो अत्यंत गरीब होने के साथ समाज की मुख्य धारा से बाहर है। ताड़ी एवं देशी शराब के कारोबार में संलिप्त परिवार आमतौर पर समाज से अलग–थलग पड़े रहते थे। अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाले इन परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब होती है, जिसके कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे में उन्हें समाज की मुख्य धार में शामिल करने, उनके अंदर साहस पैदा करने और विश्वास की भावना जागृत करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने, उचित मार्गदर्शन देने और क्षमतावर्द्धन करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु चिन्हित परिवारों की महिला सदस्य को सर्वप्रथम तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनमें विश्वास का निर्माण हो सके।

विश्वास निर्माण हेतु प्रशिक्षण के पहले अध्याय में एसजेवाई की लाभार्थी दीदियों को गरीबी, गरीबी की पहचान, गरीबी के कारण और गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकलने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। अत्यंत गरीब समुदाय आमतौर पर 'गरीबी' को भगवान की देन समझकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसे में उनमें हीन भावना जन्म ले लेती है और वे गरीबी से बाहर निकलने हेतु कोई प्रयास भी नहीं करते। प्रशिक्षण के पहले दिन यह बताया जाता है कि अत्यंत गरीब कौन है और इसकी पहचान क्या है। साथ ही इन दीदियों को सांप–सीढ़ी खेल के माध्यम से गरीबी के कारणों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इसी प्रकार सफलता की कहानियों एवं चित्र प्रदर्शनी तथा खेल के माध्यम से उन्हें गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने एवं गरीबी दूर करने के उपायों की जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षोपरान्त उनमें यह विश्वास पैदा होता है कि यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए उसके परिवार के भी 'दिन' बदल सकते हैं। प्रशिक्षण में उपस्थित अन्य दीदियों के साथ मिलने–जुलने, बातचीत करने, जानकारियों का आदान–प्रदान करने से उनमें जागरूकता आती है और धीरे–धीरे आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। इसके बाद दीदियों को नई आजीविका शुरू कर अपने जीवन में बदलाव लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यही कारण है कि अत्यंत गरीबी में जीने वाले इन समुदाय की दीदियों के लिए आजीविका प्रारंभ करने के पूर्व उनमें 'विश्वास का निर्माण' किया जाना आवश्यक होता है। इससे उन्हे सही उद्यम का चयन कर साहस एवं समर्पण के साथ वे अपने उद्यम का संचालन करने में सक्षम होती हैं।

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव : अत्यंत गरीब परिवार समाज की मुख्य धारा से इतने कटे होते हैं कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं नहीं उठा पाते हैं। मसलन– राशन, पेंशन, आवास, शौचालय, शिक्षा, रोजगार, बीमा जैसी बुनियादी सेवा से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ इन तक नही पहुचँ पाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन दीदियों को जागरूक किया जाता है ताकि वे तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा कर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।

योजना से जुड़कर मनोबल बढ़ाने की पहल: प्रशिक्षण के दौरान जीविका एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना के उद्देश्य, लाभार्थी की पहचान एवं उद्यम की चयन प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। समाज की अवधारना एवं अवयव तथा सामाजिक तत्वों का विश्लेशण आदि के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

व्यवसाय की बुनियादी सीख: व्यवसाय की अवधारणा एवं वर्गीकरण, छोटे व्यापार की सुविधाएँ, व्यवसायिक तत्व, व्यापार के उद्देश्य, व्यापार में क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, व्यापार में खरीदारी के बारे में जैसे खरीद मूल्य, खरीद की गुणवत्ता एवं मोल भाव की रणनीति, विक्रय के बारे में जैसे नगद एवं उधार विक्रय, व्यापार में समय का महत्व, बिक्री मूल्य के निर्धारण का नियम के बारे में सिखाया जाता है।

स्वरोजगार की एक पहल सतत जीविकोपार्जन योजना के साथ

पिंकी देवी सारण जिले के गरखा प्रखण्ड के गरखा गाँव की रहने वाली है। 1997 में पिंकी देवी की शादी देशी शराब एवं ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार में हो गया, जहाँ उनके पति शराब के नशे में उन पर घरेलू हिंसा करते थे, जिसके कारण वो ससुराल छोड़ कर चली गयी और पांच साल तक अपने मायके में रही। फिर जब वो वापस आयी तो उनके ससुराल वालो ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, और १ कठ्ठा जमीं देकर अलग कर दिया, जहां वो अपने पति के साथ ताड़ी बेचकर गुजर बसर करने लगी और वह झोपड़ी बना कर रहने लगी। लेकिन शराब बंदी कानून क बाद उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया और भुखमरी की अवस्था आ गयी।

वर्ष 2020 में गरखा प्रखण्ड के ग्राम गरखा में सी.आर.पी. द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभुक के रूप में पिंकी देवी का चयन किया गया। चयन के पश्चात पिंकी देवी तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के पश्चात पिंकी देवी का आत्म विश्वास बढ़ा। सतत जीविकोपार्जन योजना द्वारा विशेष निवेश निधी के तहत दस हजार रुपये की आर्थिक मदद से उन्होंने एक ठेला पर नाश्ता दुकान खोल लिया और समोसा, लिट्टी, कचौड़ी और चाय इत्यादि बेचने लगी। अभी पिंकी देवी की 6000 से 7000 मासिक आय है और अभी वो अपने बच्चो का भरण पोषण पर भी अच्छे से ध्यान कर रही हैं। उनके पति भी उनकी इस दुकान को चलाने में मदद करते है और उनकी इच्छा है की आगे वो नाश्ता का ही एक दुकान कर उसमे अच्छे से इसे जलपान गृह के भांति चलाना चाहती है।

ललिता के जीवन में आई खुशहाली

ललिता देवी एवं उनके पति रविन्द्र कुमार दोनों दिव्यांग हैं। ललिता देवी जहां बोल एवं सुन नहीं सकती हैं, वहीं उनके पति का दोनों पैर काम नहीं करते हैं। ललिता देवी जहां दूसरों के खेतों में मजदूरी करती हैं, वहीं उनके पति ट्राई साईकिल पर खाने का सामान नमकीन, बिस्किट आदि बेचते हैं। ललिता देवी के नहीं बोलने एवं सुनने के कारण उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं देना चाहता था। महीने में औसतन 8 से 10 दिन ही उन्हें बामुश्किल मजदूरी मिलती थी। साथ ही मजदूरी के बदले कम पैसे भी देते थे। आर्थिक कठिनाईयों के कारण दो बच्चों के साथ ललिता देवी का जीवन कठिनाईयों के साथ चल रहा था। बच्चों की बीमारी के कारण उन्होंने महाजन से कर्ज लेना पड़ा। जिसके कारण वो कर्ज में बुरी तरह दब गयी थीं।

इसी बीच सतत् जीविकोपार्जन योजना द्वारा ललिता देवी के गांव में सीआरपी अभियान चलाया गया। इस अभियान में भविष्यवाणी महिला ग्राम संगठन द्वारा ललिता देवी की स्थिति देखकर उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। चयन के बाद उनका सूक्ष्म नियोजन किया गया। जिसके बाद ग्राम संगठन ने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें एक जेनरल स्टोर खोल दिया गया। ललिता दीदी बेहतर तरीके से अपनी दुकान का संचालन कर रही हैं। वर्त्तमान समय में दुकान के संचालन से ललिता देवी को प्रतिमाह औसत 4500 रूपये की आमदनी हो रही है। यही नहीं इस आय से ललिता देवी ने अपने दुकान की पूंजी भी बढ़ाना शुरू कर दिया हैं और साथ ही अपने परिवार का भरण–पोषण बेहतर तरीके से कर रही हैं। उन्होंने अब अपना एक ऑटो भी खरीदा है। अब ललिता को अपने तीन बच्चों एवं पति के साथ किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल पा रहा है। अब उनका परिवार बेहतर जीवन जी रहा है। ललिता देवी के पति बताते हैं कि–"सही मायने में सतत् जीविकोपार्जन योजना ने हमारी जिन्दगी बदल दी है। इस योजना के कारण ही हमारा परिवार एक बेहतर जीवन मिला है।"

शराब कारोबार छोड दूध व्यवसाय की ओर

पूर्णियाँ जिले के बनमनखी प्रखंड अंतर्गत रामनगर फरसाही पंचायत के संथाली टोला में मंझली देवी निवास करती है। मंझली देवी और उनके पति राजकुमार मुर्मू महुआ शराब एवं ताडी का कारोबार कर अपने घर का खर्च चलाते थे। अचानक किसी कारणवस उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद वह दो बेटी और एक बेटा का भरण–पोशण अकेले दारू – ताड़ी बेचकर करने लगी। बिहार सरकार ने राज्य में वर्ष 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया जिससे उनकी आय का एकमात्र स्त्रोत बंद हो गया। आमदनी नहीं होने से भिन्न–भिन्न प्रकार के कष्ट का सामना करने लगे।

मंझली देवी के खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत कोमल जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा लाभार्थी के रुप में मंझली देवी के परिवार का चयन किया गया। आजीविका सूक्ष्म योजना के अंतर्गत उसने अपने व्यवसाय के रूप में किराना की दुकान चयन किया। इस दुकान के आय से और विषेश निवेश निधि की राशि प्राप्ति के बाद उन्होंने एक गाय भी खरीद लिया। वर्तमान में दुकान की आमदनी एवं गाय के दूध की बिकी से मंझली देवी का घर–परिवार ठीक से चल रही है। किराना दुकान एवं पशुपालन से मासिक आय 3900–4200 रूपये के बीच है जबकि उनकी कुल संपति लगभग 32000 रूपये है।

रंजना दीदी के जीवन में बदलाव की नई सुबह

सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्वालपाड़ा पंचायत के भवानीपुर गांव की रहने वाली रंजना देवी के पति और उसके परिवार के लोग देशी शराब बनाने और बेचने का काम करते थे। उसके पति जितेन्द्र उरांव मुखबधीर (गूंगा) होने के बावजूद शराब बेचने के साथ–साथ खुद भी खूब शराब पीते थे। परिणामस्वरूप जल्द ही वह बीमारी की गिरफ्त में आ गया। लेकिन सही इलाज नहीं हो पाने की वजह से उसका देहांत हो गया। पति के गुजर जाने से रंजना देवी के जीवन में दु:खों का दौर शुरू हो गया।

दीदी की दयनीय स्थिति को देखते हुए परमवीर जीविका महिला ग्राम संगठन की पहल पर उसका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु कर लिया गया। इसके बाद रंजना देवी को आजीविका गतिविधि से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। परंतु बुरे हालातों की वजह से रंजना अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसके लिए किसी नए काम की जिम्मेदारी संभालना मुश्किल था। बहरहाल जीविका द्वारा उन्हें 'विश्वास निर्माण एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण से रंजना दीदी उद्यम शुरू करने का साहस जुटा पाई। तदुपरान्त ग्राम संगठन के माध्यम से रंजना दीदी को एलआईएफ के तहत 20,000 रुपये की रोजगार संपत्ति उपलब्ध कराया गया। इस से दीदी ने 26 दिसंबर 2019 को किराना दुकान की शुरुआत की। दुकान शुरू होने से रंजना देवी के जीवन में 'बदलाव की नई सुबह' हुई। वह लगन से दुकान चलाने लगी। इसके बाद दीदी को 10,000 रुपये एसआईएफ एवं 7,000 रुपये एलजीएफ से दिए गए। इससे दुकान से रोजाना होने वाली बिक्री 400 से 600 रुपये तक हो गई है। दीदी दुकान के साथ–साथ बकरी पालन का भी काम करती है।

समूह और सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से जीविकोपार्जन

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत पूरे बिहार में अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन कर उन्हें जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना। सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों को साथ ही साथ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव के साथ–साथ समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

चयन के दौरान देखा गया कि अत्यंत गरीब परिवार के अपने खराब आर्थिक स्थिति एवं कमजोर मानसिक दशा के कारण समाज से कट कर अलग–थलग रहने को मजबूर होते हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना मे चयन होने वाले अधिकतर लाभार्थियों की स्थिति लगभग इसी तरह की थी। इन परिवारों के महिला सदस्यों को जीविका परियोजना द्वारा प्रेरित कर स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए कई बार आग्रह किया गया, परंतु कई परिवार अपने विकट परिस्थितियों के कारण समूह से नहीं जुड़ी। कुछ परिवार की महिला सदस्य की समूह की सदस्य बनीं, लेकिन आर्थिक स्थिति दयनीय होने की वजह से समूह में साप्ताहिक बचत नहीं कर पाने के कारण समूह की बैठक में आना बंद कर दिया। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें जीविका परियोजना अंतर्गत संचालित नजदीकी स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनाया जाता है। लाभार्थी समूह के बैठक मे भाग लेकर पुन: समाज के मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक और आर्थिक रुप से मजबूत हो रही हैं।

ग्राम संगठन के सहयोग से सीआरपी के टीम द्वारा सर्वेक्षण के बाद लाभार्थियों के चयन के उपरांत चुने गए परिवारों की आजीविका योजना तैयार की जाती है। इसके तहत चिन्हित परिवारों की मुलभूत जानकारी एवं जीविकोपार्जन संबंधित मांग का सूक्ष्म नियोजन किया जाता है। सूक्ष्म नियोजन प्रकिया में चिन्हित परिवारों की मूलभूत जानकारी के तहत संबधित ग्राम संगठन एवं चिन्हित परिवारों की विवरणी, जाति एवं वर्ग, बैंक खाता संबधित, परिवार की महिला लाभार्थी का समूह से जुड़ाव, वर्तमान में परिवार की जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधियों एवं परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी भी श्रोतों से लिए गए ऋण के बारें में जानकारी एकत्रित किया जाता है। चिन्हित लाभार्थियों का विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के स्थिति की जाँच सूची भी तैयार की जाती है।

चिन्हित परिवारों की जीविकोपार्जन संबधित मांग के तहत व्यापार/माइक्रो एंटरप्राइज के लिए राशि की मांग प्रपत्र तैयार किया जाता है। दीदी की माँग, क्षमता, अनुभव एवं बाजार की माँग के अनुसार दीदी का सतत रोजगार चयन करने में MRP एवं ग्राम संगठन के सहयोग से रोजगार से जुड़े सम्पत्ति ग्राम संगठन हस्तांतरित करता है। दीदी के रोजगार के शुभारंभ में ग्राम संगठन एवं गाँव की दीदियों एक छोटे से उदघाटन कर परिवार को प्रोत्साहित करती है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि